न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 03/2016 **दायरा दिनांक : 08.01.2016**

उनवान

1— प्रकाश चन्द पुत्र गोरधन, जाति नाई, निवासी डग, तहसील गंगधार, जिला झालावाड मृतक जरिये कायम मुकामानः—

1/1— मुकेश पुत्र प्रकाश चन्द, जाति नाई, निवासी डग, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

1/2— कौशल्या बाई बेवा प्रकाश चन्द, जाति नाई, निवासी डग, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

1/3— पिंकी पुत्री प्रकाश चन्द पत्नी बंशीलाल, जाति नाई, निवासी कुण्डला, तहसील चौमहला, जिला झालावाड

2— राधाबाई पुत्री गोरधन पत्नी सुन्दर लाल, जाति नाई, निवासी डग, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

3— मोहनबाई पुत्री गोरधन पत्नी राधेश्याम, जाति नाई, निवासी रूणिजा, तहसील सुवांसरा, जिला मन्दसौर (मध्यप्रदेश)

4— छोटीबाई पुत्री गोरधन पत्नी गणेश, जाति नाई, निवासी डग, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

5— दुर्गाबाई पुत्री गोरधन पत्नी पीरूलाल, जाति नाई,निवासी आवर, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

6— राजूबाई बेवा रघुनन्दन, जाति नाई, निवासी डग तहसील गंगधार, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1— काले खॉ आत्मज मेहबूब खॉ, जाति ममुसलमान, निवासी डग, तहसील गंगधार, जिला झालावाड मृतक जर्ये कायम मुकामान :—

1/1— बशीरन बी बेवा काले खॉ, जाति ममुसलमान, निवासी डग, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

1/2— वकीलन बी पुत्री काले खॉ, जाति ममुसलमान, निवासी डग, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

1/3— शाहिदा बी बेवा अब्दुल अलीम, जाति ममुसलमान, निवासी डग, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

1/4— शमशाद पुत्री अब्दुल अलीम, जाति ममुसलमान, निवासी डग, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

1/5— कय्यूम पुत्र अब्दुल अलीम, जाति ममुसलमान, निवासी डग, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

1/6— इमरान पुत्र अब्दुल अलीम, जाति ममुसलमान, निवासी डग, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

1/7— शबनम पुत्री अब्दुल अलीम, जाति ममुसलमान, निवासी डग, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

1/8— फईमुद्दीन पुत्र काले खॉ, जाति ममुसलमान, निवासी डग, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

1/9— रफीक पुत्र काले खॉ, जाति ममुसलमान, निवासी डग, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

1/10— फेमिदा बी पुत्री काले खॉ, जाति ममुसलमान, निवासी डग, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

2— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील गंगधार, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री औकारेश्वर शर्मा अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री बी एल माहेश्वरी अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 18.12.2017**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या — 72/2013 निर्णय व डिक्री दिनांक 17.12.2014 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नम्बर 1 काले खॉ ने अपीलांटगण के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन किया कि ग्राम डग, तहसील गंगधार में आराजी खसरा नम्बर 61 रकबा 3 बीघा व खसरा नम्बर 65 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा कुल दो किता की 4 बीघा 15 बिस्वा आराजी है । आराजी प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 6 व मृतक रघुनन्दन के पिता गोरधन आत्मज धूली लाल नाई के खाते एवं कब्जे की थी और सन् 1967 से पूर्व इस आराजी को अब्दुल गफूर पुत्र हमीदुल्ला को कीमत प्राप्त कर बेचान कर कब्जा संभला दिया था । अब्दुल गफूर ने वादग्रस्त आराजी जिसके साबिक खसरा नम्बर 50 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा व खसरा नम्बर 50/232 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा था का बेचान 551/— रूपये में छोटे खां आत्मज घासी खां को कर दिया । छोटे खां ने वादग्रस्त आराजी वादी को दिनांक 12.08.1972 को 601/— रूपये में बेचान की और कब्जा

दिया था जिसकी लिखा पढ़ी स्टाम्प पर हो रही हैं । छोटे खां से आराजी खरीदने के बाद गोरधन ने विवाद खड़ा किया । वादी को कब्जा छोड़ने को कहा । वादी ने मना किया । गोरधन का देहान्त हो चुका है जिनका फोती इंतकाल उनके वारिसों के नाम तस्दीक किया गया है परन्तु इंतकाल खोलते समय वादी को नोटिस नहीं दिया गया । एक स्टाम्प प्रतिवादी नम्बर 1 व रघुनंदन ने भी वादी के कब्जे को स्वीकार करते हुए 31.07.1998 को लिखा है । प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादी खातेदार हो गये हैं । अतः वादी का दावा स्वीकार कर वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 17.12.2014 को दावा वादी स्वीकार किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने एक तरफा कार्यवाही करते हुए दावा वादी डिक्री किया है । निर्णय विधिक प्रावधानों के विपरीत है । प्रतिवादी नम्बर 3 और 7 की तलबी के बारे में कोई जानकारी प्राप्त किये बिना सीधे ही निर्णय सुनाया है । दिनांक 12.03.2008 को प्रतिवादी नम्बर 1, 2, 4, 6 के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई है फिर दिनांक 05.03.2013 को प्रतिवादी के अधिवक्ता की उपस्थिति लिख दी गई है । यह अधिवक्ता किन की ओर से उपस्थित हुए स्पष्ट नहीं है । अपीलांट को न्यायालय के नोटिस की तामील नहीं हुई है । उनके द्वारा किसी अधिवक्ता को खड़ा नहीं किया गया है । प्रतिवादी नम्बर 5 दुर्गाबाई की अदम तामील रिपोर्ट लगी हुई है । प्रतिवादी नम्बर 2 शिक्षित महिला है जो हस्ताक्षर करती है परन्तु उनका अंगूठा निशानी सम्मन पर अंकित किया गया है । तामील विधि सम्मत रूप से नहीं हुई है । प्रतिवादी नम्बर 1 की मृत्यु 5 वर्ष पूर्व हो चुकी है । प्रतिवादी नम्बर 6 की मृत्यु 2009 में हो चुकी है । इसके बावजूद सम्मन पर उनके जाली अंगूठा निशानी/हस्ताक्षर करवाये गये हैं । मृत व्यक्तियों के खिलाफ डिक्री पारित की गई है । रघुनन्दन के कायम मुकामान को पक्षकार नहीं

बनाया गया है । वादीगण का कोइ अधिकार वादग्रस्त आराजी में निहित नहीं है । रघुनन्दन की मृत्यु हो चुकी है उनकी विधवा राजू बाई अपीलांट नम्बर 6 के रूप में अपील पेश कर रही है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 31.12.2015 को पटवारी हल्का से हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी भी अपीलांट नम्बर 6 की ओर से पेश किया गया है जिसमें यह कथन किया गया है कि राजू के पिता रघुनन्दन सहखातेदार थे जिन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया था । उनकी मृत्यु हो चुकी है । प्रार्थी उनकी पत्नी है अतः हितबद्ध पक्षकार है । अतः अपील पेश करने की अनुमति दी जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रघुनन्दन की मृत्यु हो चुकी थी उनकी विधवा पत्नी को पक्षकार नहीं बनाया गया था । उनकी पत्नी की ओर से 96 सी पी सी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है और अपील में अपीलांट नम्बर 6 के रूप में पक्षकार है । अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी नम्बर 3 और 7 की तलबी कम्पलीट नहीं हुई थी । दिनांक

12.03.2008 को प्रतिवादी नम्बर 1, 2, 4 के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई थी । एक तरफा कार्यवाही निरस्त करने पर कोई प्रार्थना पत्र पत्रावली में सलंग्न नहीं है फिर भी उनकी ओर से किसी अधिवक्ता की उपस्थित दर्ज की गई है, वकालतनामा भी नहीं है । प्रतिवादी नम्बर 2 शिक्षित महिला है जिसके तामील पर निशानी अंगूठा अंकित की गई है । तामील विधि सम्मत नहीं है । प्रतिवादी नम्बर 1 और 5 की मृत्यु हो चुकी है । मृत व्यक्तियों के खिलाफ डिक्री पारित की गई है । कब्जे के आधार पर खातेदार घोषित किया है, जो विधि विरूद्ध है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अपीलांटगण की विधि सम्मत रूप से तामील करवायी गई थी । उनके उपस्थित नहीं आने पर उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम और अपीलांट नम्बर 6 का धारा 96 सी पी सी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबंदी प्रदर्श–1 नया खाता संख्या 607 सलंग्न है जिसमें वादग्रस्त आराजी प्रकाश चन्द, रघुनन्दन पुत्र गोरधन, राधा बाई, मोहन बाई, छोटी बाई, दुर्गा बाई पुत्रिया गोरधन और सुन्दर बाई बेवा गोरधन के खाते में दर्ज है । प्रदर्श–2 मिलान क्षेत्रफल है । प्रदर्श–3 खसरा गिरदावरी है । प्रदर्श–4 तहरीर है जो अब्दुल गफ्फार द्वारा लिखी गई है । प्रदर्श–5 प्रकाश

चन्द और रघुनन्दन की तहरीर है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कुछ शपथ पत्र जरूर साक्ष्य वादी के रूप में पेश किये गये हैं, परन्तु शपथकर्ता के द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर शपथ पत्र की ताईद की गई हो ऐसा पत्रावली के रेकार्ड से प्रतीत नहीं होता है । फईमुद्दीन के शपथ पत्र के पृष्ठ भाग पर कुछ अंकित है परन्तु न तो शपथग्रहिता के हस्ताक्षर है और न ही आर ओ & ए सी पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हैं । दस्तावेजों को एक्जीविट किस आधार पर करवाया गया है यह स्पष्ट नहीं है ।

वादी के द्वारा दावा अपंजीकृत एवं अमुद्रांकित तहरीर एवं कब्जे के आधार पर पेश किया गया है और अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये हैं जबकि माननीय राजस्व मण्डल की फुल बैंच के निर्णय के अनुसार कृषि भूमि में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं । अपीलांट नम्बर 6 इस प्रकार में आवश्यक पक्षकार थे जिन्हें पक्षकार बनाये बिना दावा डिक्री किया गया है । साथ ही अपील में प्रतिवादी नम्बर 1 प्रकाश चन्द का जो मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया गया है उसमें मृत्यु की तिथि 15.01.2013 अंकित की गई है और जब कि डिक्री सन् 2014 में पारित की गई है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर हम इस प्रकरण में अपीलांट प्रतिवादीगण को जवाबदेही का अवसर प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.12.2014 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप

से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.02.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा